राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16/2022 आवन्टन निरस्त

देईचन्द उर्फ देहीचन्द दत्तक पुत्र मांगू गुर्जर निवासी सोजी का खेडा तहसील आसीन्द

–प्रार्थी

बनाम

1. सुवा पुत्र ज्वारा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा
2. लाखा पुत्र ज्वारा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा मृतक के बजाय –
   2/1 दिलखुश पुत्र लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा
   2/2 विनोद पुत्र लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा
   2/3 लक्ष्मण पुत्र लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा नाबा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी लाखा गुर्जर
   2/4 हरजी पुत्र लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा नाबा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी लाखा गुर्जर
   2/5 भंवर पुत्र लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा नाबा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी लाखा गुर्जर
   2/6 श्रीमती प्रेम देवी पत्नी लाखा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा तहसील आसीन्द
3. बक्षु पुत्र ज्वारा गुर्जर निवासी सोजी का खेडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 उपनियम 4 एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 कृषि भूमि आवंटन नियमन 1970 नियमन आदेश दिनांक 29.10.2021

उपस्थित –
1. श्री दुधाराम कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री संजय सेन, राकेश जैन अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.10.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम सोजी का खेडा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.95 हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. भूमि में से 0.25 हैक्ट. भूमि आवंटन / नियमन दिनांक 29.10.2021 को विपक्षीगण के नाम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत रतनपुरा पर की गयी, जिसमें इस आवंटन /नियमन की गयी भूमि पर आवंटी का संवत् 2064 से कब्जा काश्त होना बताकर अतिक्रमी मानकर आवेदन प्रस्तुत

अति जिला कलक्टर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से जवाब एवं दस्तावेज की सूची पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पटवार हल्का व भू.अ.नि. की अतिक्रमित भूमि के नियमन की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 के कॉलम संख्या 05 के अनुसार विवादित आराजी 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.06 हैक्ट. भूमि ही नियमन योग्य मानी, फिर भी आवंटन /नियमन सलाहकार कमेटी द्वारा नियमों के विपरीत जाकर पक्की सडक के पास उक्त आराजी में से 0.25 हैक्ट. भूमि का आवंटन/नियमन कर नियम विरूद्व आदेश पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा विपक्षीगणों को किये गये आवंटन/नियमन आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम खाली हैं। दिनांक व स्थान के कॉलम खाली पडे हैं। सिपुर्दगीनामा पत्र में भी दिनांक व डिस्पेज क्रमांक अंकित नहीं हैं। प्रकरण में आवंटन सलाहकार कमेटी के पूर्ण सदस्य उपस्थित नही होने से कमेटी अपूर्ण थी। कमेटी की सदस्य विकास अधिकारी आसीन्द, विधायक महोदय आसीन्द, प्रधान महोदया, पंचायत समिति आसीन्द के आवंटन / नियमन की प्रक्रिया में हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त आवंटन बिना उदघोषणा के जारी किया गया, जबकि आवंटन से पूर्व आंवटन की उद्घोषणा जारी की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार विपक्षीगण को किया गया आवंटन /नियमन विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि विपक्षीगण को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.95 हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.25 हैक्ट. भूमि का विपक्षीगण के नाम पर किया गया आवंटन /नियमन आदेश दिनांक 29.10.2021 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रश्नगत आराजी संख्या 298 व 299 आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की श्रेणी में आने से आवंटन कमेटी द्वारा जांच कर विपक्षीगणों को नियमानुसार आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि के आंशिक भाग को सम्मपरिवर्तन करा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानें बना देने मात्र से प्रार्थी की भूमि के आगे अवस्थित बिलानाम भूमि को आवंटित करने से नहीं रोका जा सकता हैं। प्रार्थी ने अपनी जायदाद की कीमत बढाने की गरज से उक्त प्रार्थना

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

पत्र पेश किया हैं। उक्त आवंटित भूमि पर सन् 1996 से पूर्व से ही विपक्षीगणों के कच्चे घर बने हुये हैं व फसल काश्त कर रहें है। उक्त आवंटित भूमि पर काश्त करने के संदर्भ में भी खसरा गिरदावरी भी हो रखी हैं। प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। आवंटीगण ने आवंटन नियमों की विधिवत् पालना की हैं। विपक्षीगण सद्भाविक काश्तकार हैं। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाने के संबंध में प्रमाणस्वरूप खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत है। विपक्षीगणों को विधिवत् तोर उक्त आराजियात का आवंटन किया गया है जिसके प्रमाण स्वरूप आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड क्षेत्र आसीन्द मुकाम जिन्द्रास का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.12.2021 की प्रमाणित प्रति पेश हैं जिसमें सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर किये हुये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आवंटन को यथावत रखा जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के परीक्षण से जाहिर आया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन, पटवार हल्का रतनपुरा का ग्राम सोजी का खेडा के मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने से आवंटन सलाहकार समिति ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में विधिवत् तौर आवंटन किया जाना स्पष्ट होता हैं। उक्त आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवंटित प्रश्नगत आराजियात का पूर्ण परीक्षण करवाने के उपरांत नियमानुसार आवंटन किया गया हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया कि उक्त आवंटन हेतु कोई आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नही की गयी एवं न ही आवंटन समिति के कोई हस्ताक्षर आदि हैं। इस संबंध में विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त आवंटन के संबंध में आवंटन सलाहकार समिति क्षेत्र आसीन्द की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 13.12.2021 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं, जिस अनुसार वक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरशुदा हैं।

आवंटन सलाहकार समिति ने आवन्टिती को कब्जा सुपुर्द कर उक्त आवंटित कृषि भूमि को संवत् 2078 से गैर खातेदारी हक से आवंटी को ग्राम सोजी का

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खेडा में आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 299 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि आवंटन आदेश जारी किये गये जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। उक्त आवंटन के आवंटन शर्तों की पालना के संदर्भ में विपक्षी आवंटी द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रतियां पेश की गयी जिसमें आवंटी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि पर, विभिन्न कृषि जोत करना दर्शाया हुआ हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि विपक्षी आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस रिप्रजेन्टेशन या फ्रोड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 कृषि भूमि आवंटन (नियमन नियम 1970 आवंटन/नियमन) सिद्ध नही होने से एवं आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड कार्यालय आसीन्द एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/10/23

(ब्रह्म लाल जाट)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

खेडा में आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 299 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि आवंटन आदेश जारी किये गये जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। उक्त आवंटन के आवंटन शर्तों की पालना के संदर्भ में विपक्षी आवंटी द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रतियां पेश की गयी जिसमें आवंटी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि पर, विभिन्न कृषि जोत करना दर्शाया हुआ हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि विपक्षी आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि विपक्षी आवंटी को मिस रिप्रजेन्टेशन या फ्रोड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 कृषि भूमि आवंटन (नियमन नियम 1970 आवंटन/नियमन) सिद्ध नही होने से एवं आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड कार्यालय आसीन्द एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/10/23

(ब्रह्म लाल जाट)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)